तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2065/2005/जयपुर** **सरकार बनाम गिरराजप्रसाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-02-2026	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री एस0पी0 ओझा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अति0 कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22–01–2005 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बस्सी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि एकीकरण जमाबंदी सम्वत् 2019 ग्राम पालावाला जाटान के खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा माफी मंदिर श्री रघुनाथजी, पुजारी लल्लू वल्द गंगाबक्स, रामकिशोर वल्द ओंकार व दामोदर पुत्र शंकरलाल, जगदीश, कल्याण पि0 बालाबक्स, धीस्या वल्द गोरीलाल कौम ब्रा0 सा0 देह की खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज था। कालान्तर में जमाबंदी सम्वत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया गया और खातेदारी पुजारीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जमाबंदी सम्वत् 2054–56 में भी भूमि पुजारी खातेदारी लल्लू पुत्र गंगाबक्स, रामकिशोर पुत्र औंकार, दामोदर पुत्र शंकरलाल, जगदीश, कल्याण पि0 बालाबक्स, धीस्या पुत्र गौरीलाल की खातेदारी में दर्ज है। बाद में लल्लू पुत्र गंगाबक्स के फौत होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 252 से गिरराज प्रसाद, हनुमान सहाय, सियाराम व श्रीमती फूलीदेवी के नाम दर्ज करने का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2054–56 पर किया जा चुका है। अतः नियम विपरीत दर्ज हुई उक्त आराजी पुनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। 3– न्यायालय अति0 कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 22–01–2005 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2065/2005/जयपुर** **सरकार बनाम गिरराजप्रसाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पूनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी भूमि एकीकरण विभाग सम्वत् 2091 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम पालावाला जाटान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी लल्लू वल्द गंगाबक्स व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–24 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम पालावाला जाटान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि लल्लू पुत्र गंगाबक्स व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 252 संलग्न है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2054–57 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम पालावाला जाटान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि लल्लू पुत्र गंगाबक्स व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2065/2005/जयपुर** **सरकार बनाम गिरराजप्रसाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम पालावाला जाटान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि को विपक्षीगण के नाम से हटायी जाकर राजस्व अभिलेख में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	